न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री दुर्गाराम
जरिये पटवार हल्का पुत्र श्री भोलीराम
जाति जाट नि. इग्योली

मुकदमा नं. 3 /2018 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 4/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम इग्योली खसरा नम्बर 132 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बा.4 (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 फसल खरीफ में श्री दुर्गाराम पुत्र श्री भोलीराम जाति जाट निवासी इग्योली (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ा-बना कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी स्वयं के भाई मे उपस्थित होकर कोई साक्ष्य सबूत जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम इग्योली ख.न. 132 रकबा 0.02 है. किस्म बा.4 पर संवत 2075 फसल खरीफ में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ा-बना कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 5 रू. (रूपये पांच रुपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेच भु. अभिलेख निरीक्षक बागोर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19 63
5/-

Scanned by CamScanner